न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 15/2013/रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय, वैध की ढ़ाणी जिला सीकर

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय **दिनांकः–28.08.2019**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम वेद की ढाणी के आराजी ख0नं0 261/1 रकबा 1.00 है0 किस्म गै0मु0 विधालय भवन एवं खेल मैदान की वर्तमान खातेदारी रा. उ. प्रा. वि. वैध की ढाणी के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम वेद की ढाणी तहसील दांतारामगढ की भूमि ख0नं0 261 रकबा 4.31 है0 किस्म गै0मु0 नाला खाता संख्या 1 में सम्वत 2059 से 2062 में दर्ज रिकार्ड थी। उक्त जमाबन्दी में भूमि गै0मु0 नाला दर्ज रिकार्ड थी। जिला कलक्टर सीकर के आदेश कमांक/सम/7651–62 दिनांक 24.10.2002 से उक्त भूमि में से रकबा 1.00 है0 रा.उ.प्रा. वि. वैध की ढाणी के नाम आवंटन कर दी गई। उक्त आदेश की पालना में उक्त भूमि रा.उ. प्रा.वि. वैध की ढाणी के नाम नामा. सं. 93 दिनांक 13.12.03 को खातेदारी में दर्ज हुई। राज0 काश्ताकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत गैर मुमकिन नदी/नाला/झील/ तालाब/चारागाह/जलाशयों की भूमि का आवंटन योग्य नहीं है। अतः तहसीलदार का आवंटन आदेश एवं नामान्तकरण संख्या 33, 53, 280, 27, 194, 213, 257 कानून की निगाह में अवैध एंव प्रभाव शून्य एवं कानून के विपरीत है। अतः उक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 एवं सपठित राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 के प्रावधान के अन्तर्गत रेफरेन्स योग्य एवं निरस्तनीय है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1326/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से राज्य सरकार को पैरा सं. 1 में उल्लेखित भूमि जो नदी/नाला/झील/ तालाब/जलाशय/जलप्रवाह/जलस्थिर की भूमि दर्ज रिकार्ड थी जो पश्चातवर्ती भू–प्रबन्ध एवं भू–अभिलेख सहकियायें के तहत निजी खातेदारी/अन्यत्र दर्ज हो गई, ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही कर ऐसी जलोढ़ गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्व रिकार्ड के अनुसार गैर मुमकिन जलोढ भूमि दर्ज करने के निर्देश दिये है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के रिट सं. 1536/03 में पारित आदेश के कियान्वयन में रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं अन्तर्गत धारा 232 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार के आवंटन आदेश व नामान्तकरण संख्या 93 को निरस्त फरमाकर भूमि वादग्रस्त को सिवायचक गै.मु.नदी दर्ज करने के आदेश पारित

संख्या 93 दिनांक 18.12.2003 का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 93 के द्वारा उपरोक्त भूमि राज. सरकार गै.मु.नाला से श्रीमान् जिला कलक्टर, सीकर के आदेश दिनांक 24.10.2002 की पालना में रा.उ.प्रा.वि. वैध की ढाणी के नाम खातेदारी दर्ज की गई है। उक्त भूमि की खातेदारी राज सरकार गैर मुमकीन नाला दर्ज होने के बावजूद गलत रूप से रा.उ.प्रा.वि. वैध की ढाणी के नाम से खातेदारी दर्ज कर दी गई। नकल जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित आराजी गैर मुमकीन नाला दर्ज है तथा अप्रार्थी के नाम से दर्ज है जबकि गैर मुमकीन जोहड़, नदी, नाला, तालाब का धारा 16 आरटीएक्ट से प्रतिबंधित ही नहीं, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अब्दूल रहमान बनाम स्टेट में ऐसी अनियमितताओं को राजस्व मण्डल राजस्थान से निरस्त करवाने के आदेश भी है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम वेद की ढ़ाणी तहसील दांतारामगढ़ की तन में स्थित भूमि खसरा नम्बर 261 रकबा 4.31 है0 में अप्रार्थी रा.उ.प्रा.वि. वैध की ढ़ाणी को दी गई खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है। मूल पत्रावली निबंधक राजस्व मण्डल राज. अजमेर को भेजी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयप्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official